झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–301 वर्ष 2017

1.बरथा केरकेट्टा, पत्नी–श्री एन्थोनी हांसदा, निवासी ग्राम–प्रेमनगर खुंटीटोली, डाकघर एवं थाना–खुंटी, जिला–खुंटी, झारखण्ड।

2. मटिल्डा गुरिया, पत्नी–स्वर्गीय स्टीफन भेंगरा, निवासी ग्राम–दोरमा तिरिलपिरी, डाकघर एवं थाना–तोरपा, जिला–खुंटी,, झारखण्ड।

3. मेरी माइकल कुजूर, पत्नी–विनीत खल्खो, निवासी–कडरू डेला टोली, डाकघर एवं थाना–अरगोड़ा, जिला–रांची।

.... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची के माध्यम से।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची।

3. जिला शिक्षा अधीक्षक, खुंटी, डाकघर, थाना एवं जिला–खुंटी, झारखण्ड।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री कृपा शंकर नंदा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्रीजीत चौधरी, सीनियर एस0सी0–III

04 / 07.02.2017 पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्त्ता सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालय के सेवानिवृत शिक्षक हैं, व्यक्ति का विवरण नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया जा रहा हैः

क्र0 सं0	याचिकाकर्त्ता/शिक्षक का नाम	स्कूल का नाम	नियुक्ति की तारीख	सेवानिवृति की तिथि
1	बरथा केरकेट्टा	आर0सी0 बॉयज मिडिल स्कूल खुंटी, जिला–खुंटी	12/01/82	31.12.2005
2	मटिल्डा गुरिया	आर0सी0 प्राथमिक स्कूल टटीबेरा, रनिया, जिला–खुंटी	05/04/83	30.09.2012
3	मेरी माइकल कुजूर	आर0सी0 प्राथमिक स्कूल मुरू, जिला–खुंटी	10/05/67	30.04.2002

यह याचिकाकर्त्ताओं का तर्क है कि विचाराधीन स्कूल सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालय है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्च राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित है। याचिकाकर्त्ताओं को महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है। वर्तमान रिट आवेदन में, याचिकाकर्त्ताओं की शिकायत उनके

खिलाफ बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उन्होनें यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

कृपा शंकर नंदा, याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्त्ताओं के दावे का पहले प्रतिवादी–राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन इस न्यायालय की विद्वान खण्डपीठ द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2014 को डब्ल्यू0पी0 (एस) सं0 506/2013 मरियम तिर्की बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य एवं अन्य अनुरूप मामले में पारित निर्णय जो 2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465 में रिपोर्ट किया गया है, के मद्देनजर अब इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीभ टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में पारित दिनांक 15.12.2014 के निर्णय द्वारा पुष्टि किया गया। याचिकाकत्ताओं के अनुसार, विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पूर्वोक्त पारित निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है, के मद्देनजर याचिकाकर्त्ताओं को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा किया जा सकता है।

उत्तरदाता–राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालय के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब

मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पुष्टि किया गया।

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं0 3 को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि याचिकाकर्त्ताओं से संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांचके बाद उनके छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)